FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **महिपाल** बनाम **सरकार जरिये एस.एच.ओ. अकबरपुर अलवर**

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/113/2024 दायर दिनांक 24.10.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की वहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में मुकामी थानाधिकारी अकबरपुर (अलवर) व थानाधिकारी मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) द्वारा क्रमशः पत्रांक 2707 दिनांक 03.11..2024 व 8347 दिनांक 01.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्ररकण में जप्तशुदा वाहन सं0 RJ-32-GB-1454 के संबंध में अनुसंधान हो चुका है, वाहन को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जावे तो उक्त दोनो पुलिस थाना को कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी अकबरपुर को जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर रजि0 संख्या RJ-32-GB-1454 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	